न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या – 06/2017

1. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चतर सिंह, उम्र 50 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।

.....निगरानीकार

बनाम

1. गोम सिंह पुत्र श्री हरनारायण सिंह जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।
2. दरियाब कंवर पत्नी भोम सिंह जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।
3. केसर सिंह पुत्र श्री भोम सिंह जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।
4. नारायण सिंह पुत्र श्री चतर सिंह जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।
5. बलवीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।
6. गोविन्द सिंह पुत्र श्री चतर सिंह जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।
7. दलबीर उर्फ दिलीप सिंह पुत्र श्री चतर सिंह जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।
8. डूंगर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।
9. महावीर सिंह पुत्र श्री चतर सिंह जाति राजपूत, निवासी जसवंतपुरा तहसील मकराना।
10. सरपंच, ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां, तहसील मकराना।

.....गैरनिगरानीकार

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम बविरूद्ध पट्टा संख्या 06/1973–74, मिसल संख्या 05/1973–74 दिनांक 30.09.1973, ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर, श्री लाल सिंह गोदार, श्री योगेश यादव गैरनिगरानीकार संख्या 01 से 03 की ओर से।
3. श्री दुर्जाराम पूनियां गैरनिगरानीकार संख्या 04 से 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :–17.08.2021

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोर्ट डोबड़ी कलां द्वारा जारी भूमि विलेख पट्टा संख्या 6/73–74 दिनांक 30.08.73 जो गोम सिंह, भोमसिंह पुत्र हरनारायण सिंह के नाम से जारी है, को निरस्त करवाने बाबत पेश की गयी है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया।

2. गैरनिगरानीकार संख्या 01 से 03 की तरफ से विद्वान अधिवक्तागण श्री राजेन्द्र कुमार माथुर, श्री लाल सिंह गोदारा, श्री योगेश यादव द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया व गैरनिगरानीकार संख्या 04 से 09 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्जाराम पूनियां द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया गया जिन्हे शामिल मिसल किया गया।
3. गैरनिगरानीकार संख्या 10 सरपंच, ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां बावजूद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. निगरानीकार द्वारा जरिये अधिवक्ता गैरनिगरानीकार के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि :–
   A. ग्राम जसवन्तपुरा की आबादी में निगरानीकार व गैरनिगरानीकार संख्या 04 से 09 के पूर्वजों के समय से आबादी थाला स्थित है। जिसके उत्तर में झूंझार सिंह वगै0 की खुली जायगा व उनके घर में जाने का रास्ता, दक्षिण में गढ में जाने का रास्ता, पूर्व में सार्वजनिक गुवाड़ व पश्चिम में गढ की खुली जायगा है।
   B. निगरानीकार के उक्त थाला के दक्षिणी पूर्वी कोने पर कुछ खुली जायगा पड़ी है, जिसमें निगरानीकार व गैरनिगरानीकार संख्या 04 से 09 के पूर्वजों के समय से ही बने 02 कमरों के दरवाजे पूर्व की तरफ इस जायगा में खुलते हैं, पूर्व व दक्षिण कोने पर पत्थरों की कच्ची दीवार है जो पूर्वजों के समय से निकाली हुई है व इस खुली जायगा पर निगरानीकार व गैरनिगरानीकार संख्या 04 से 09 का कब्जा है। जिसकी पुष्टी कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 21.06.2017 से होती है।
   C. निगरानीकार व गैरनिगरानीकार संख्या 04 से 09 की उक्त कब्जा सुदा खुली जमीन को गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने 1973 में जब वह नाबालिग था, अपनी जमीन बताकर ग्राम पंचायत से इमारती पट्टा बैचाण से खरीदना बताकर अपने नाम फर्जी पट्टा बनवा लिया।
   D. ग्राम पंचायत ने बाला–बाला बिना कोई आम सूचना निकाले गोम सिंह व भोम सिंह के पिता हरनारायण सिंह जो वार्ड पंच थे की सिफारिश पर नाबालिग गोम सिंह व भोम सिंह नाम जिसमें नाबालिग के संरक्षक का नाम नहीं लिखा है, निगरानीकार की जायगा का 20 गुणा 20 वर्गफुट का पट्टा जारी कर दिया। गोम सिंह ने अपनी उम्र मौजूदा समय में 57 साल बताई है, इससे स्पष्ट है कि सन् 1973 में जब पट्टा बनाया गया उस समय 13 वर्ष का नाबालिग था, नाबालिग का संरक्षक होना आवश्यक है। तथा 1973 में पट्टे की जमीन को लाल स्याही की लकीरों से बताये जाने का प्रावधान था परन्तु इस पट्टे में लाल स्याही का प्रयोग नहीं किया गया है अतः पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।
   E. पिछले 39 वर्षों तक निगरानीकार समय–समय पर अपनी जायगा पर पत्थर डालकर कच्चे पत्थरों की चिनाई करते रहे तब गैरनिगरानीकार द्वारा कोई उजर नहीं उठाया। अब जब निगरानीकार द्वारा पक्की दिवार बनाने के लिए नीवं खोदी तो गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने उजर उठाया जो तथ्य चलने योग्य नहीं है इत्यादि–इत्यादि कथन करते हुये पट्टा निरस्त करने का कथन किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

5. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां, पचायत समिति मकराना द्वारा अपने पत्रांक SPL/2018/01 दिनांक 26.06.2018 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां का पट्टा संख्या 6/73–74 से संबंधित मूल रिकॉर्ड यथा मूल मिसल संख्या 5/73–74 मय मूल पट्टा संख्या 6/73–74 प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी जिसमें :–

   A. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पूनियां ने बहस में मुख्यतः निगरानी मिमो में किये गये कथनों को ही दोहराते हुये कथन किया कि गैर निगरानीकार संख्या 01 से 03 के पक्ष में निगरानीकार व गैरनिगरानीकार संख्या 04 से 09 के पूर्वजों की जायगा जिस पर वर्तमान में भी निगरानीकार व गैरनिगरानीकार संख्या 04 से 09 का कब्जा है ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा बाला–बाला बिना कोई आम सूचना निकाले गोम सिंह व भोम सिंह के पिता हरनारायण सिंह जो वार्ड पंच थे की सिफारिश पर नाबालिग गोम सिंह व भोम सिंह के नाम जिसमें नाबालिग के संरक्षक का नाम भी नहीं लिखा है, निगरानीकार की जायगा का 20 गुणा 20 वर्गफुट का पट्टा जारी कर दिया। सन् 1973 में जब पट्टा बनाया गया उस समय गोम सिंह 13 वर्ष का नाबालिग था, नाबालिग का संरक्षक होना आवश्यक है। तथा 1973 में पट्टे की जमीन को लाल स्याही की लकीरों से बताये जाने का प्रावधान था परन्तु इस पट्टे में लाल स्याही का प्रयोग नहीं किया गया है अतः पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 6/73–74 को निरस्त किया जावे।

   B. गैरनिगरानीकार संख्या 01 व 03 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार माथुर ने निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन का विरोध करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा जारी पट्टा संख्या 6/73–74 नियमानुसार ही जारी किया गया है। पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा आबादी भूमि खरीदने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कमेटी की सिफारिश के आधार पर निलामी में अधिकतम बोलीदाता गैरनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में निलामी राशि के जमा करवाने के पश्चात जारी किया गया है, जो नियमानुसार है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

7. पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में किये गय कथन व प्रस्तुत तर्कों पर मनन पश्चात न्यायालय का यह मत है, कि

   A. प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, वह निगरानीकार द्वारा कथन किये गये उनुसार उनके पूवर्जों की रही हो इस बाबत कोई ठोस तथ्य सुनवाई के दौरान पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः निगरानीकार द्वारा इस बाबत किये गये कथन को मानने व उक्त कथन के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 01 व गैर निगरानीकार संख्या 02 व 03 के पति/पिता के पक्ष में ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा जारी आबादी भूमि के पट्टे के संबंध

में मेरे मतानुसार कोई प्रतिकूल आदेश पारित करना उचित प्रतित नहीं होता।

B. चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में जिस भूखण्ड पर ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा विलेख गैर निगरानीकार संख्या 01 व गैर निगरानीकार संख्या 02 व 03 के पति/पिता के पक्ष में जारी किया गया है वह बिन्दु 7/A अनुसार किसी की निजी भूमि नहीं है व ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में अवस्थित है तथा ग्राम पंचायतों को उनके आबादी क्षेत्र में स्थित भूखण्डों/सम्पत्तियों के संबंध में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है।

C. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा पट्टा संख्या 6/73–74 की प्रस्तुत मूल मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है, कि ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक श्री गोम सिंह द्वारा ग्राम पंचायत के स्वामित्व की ग्राम जसंवतपुरा में स्थित भूमि के क्रय करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.08.73 राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 256 के उपनियम (1) तहत प्रस्तुत किये जाने पर नियम 256 के उपनियम (2) के तहत प्रस्तावित भूमि का नक्शा तैयार करने व नियम 258 के उपनियम (1) के तहत 03 पंचो की स्थान निरीक्षण हेतु कमेटी का गठन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.08.73 को किया गया।

D. प्रस्तावित भूमि का नक्शा तैयार होकर ग्राम पंचायत में प्राप्त होने व कमेटी के स्थान निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.10.73 को नियम 259 के तहत प्रस्तावित भूमि के बेचान का अस्थायी निर्णय किया गया जिसका नियम 260 के तहत 01 माह में आपत्तियां प्रस्तुत करने का नोटिस क्रमांक 41/21.10.73 जारी किया गया जिसे सार्वजनिक स्थान पर 22. 10.73 को चस्पा किया गया।

E. नियम 260 के तहत जारी नोटिस क्रमांक 41/21.10.73 के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25. 11.73 को नियम 262 के उपनियम (1) के तहत बिक्री के लिए प्रस्तावित भूमि का निलामी की सूचना हेतु नोटिस क्रमांक 49/25.11.73 जारी किया गया जिसमें बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि की निलामी दिनांक 25.12.73 को दिन के 08 बजे से 10 बजे तक आम गुवाड़ जसवन्तपुरा में सार्वजनिक बोली के माध्यम से किये जाने बाबत कथन अभिलिखित किया गया था। उक्त नोटिस को सार्वजनिक स्थानों पर 25.11.73 को चस्पा किया गया।

F. ग्राम पंचायत द्वारा नियम 263 के उप नियम (1) के तहत बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि की निलामी दिनांक 25.12.73 को की गई जिसमें उच्चतम बोली गैर निगरानीकार संख्या 01 श्री गोम सिंह पुत्र श्री हरनारायण सिंह की 13/–रू. की रही। उक्त निलामी नियम 265 के उपनियम (1) के तहत स्वीकृत की गई व नियम 265 के उपनियम (2) के तहत निलामी बोली की कार्यवही की प्रति ग्राम पंचायत द्वारा पत्रांक 113 दिनांक 25.12.73 द्वारा क्षेत्र के सब डिवीजनल ऑफिसर के पास भेजी गई।

G. नियम 265 के उपनियम (2) के तहत क्षेत्र के सब डिवीजनल ऑफिसर से 01 माह में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिकतम बोली दाता गैर

निगरानीकार संख्या से निलामी राशि रू. 13 रसीद संख्या 80 दिनांक 27.01.73 द्वारा प्राप्त कर लेने पर पट्टा नम्बर 6/73–74 गैर निगरानीकार संख्या 01 श्री गोम सिंह व गैर निगरानीकार संख्या 02 व 03 के पति/पिता श्री भोम सिंह के पक्ष में जारी किया गया।

H. हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में पट्टा विलेख जारी करने बाबत तत्समय प्रचलित नियमों व विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन करना प्रथम दृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध मूल रिकॉर्ड से प्रतित होता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आबादी भूमे के बिक्री हेतु बनाये गये नियम 256 के उपनियम (2) के अनुसार आवेदक से चाही गई भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु नियत शुल्क रू. 2/– जो आवेदक से आवेदन के समय प्राप्त करने थे, उक्त शुल्क जमा नहीं करवाया गया। जिस कारण गैर निगरानीकार संख्या द्वारा आबादी भूमि के क्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन ही प्रथमतः अपूर्ण है।

I. ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा नियम 263 के उप नियम (1) के तहत बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि की निलामी दिनांक 25.12.73 को की गई जिसमें उच्चतम बोली गैर निगरानीकार संख्या 01 श्री गोम सिंह पुत्र श्री हरनारायण सिंह की 13/–रू. की रही। ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 27.01.74 के अनुसार "प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गयी भूमि का मूल्य 13 रूपये रसीद संख्या 80 दिनांक 27.01.74 को जमा करा देने पर पट्टा नम्बर 6/73–74 जारी किया गया" उक्त आदेशिका से स्पष्ट है कि निलामी में अधिकतम बाली दाता श्री गोम सिंह द्वारा भूमि की सम्पूर्ण निलामी राशि दिनांक 27.01.74 को ग्राम पंचायत में जमा करवाई गई थी, निलामी के बाद निलामी स्थल पर तुरन्त उनके द्वारा कोई राशि जमा नहीं करवाई थी। जबकि राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 263 के उप नियम (1) के अनुसार जिसने निलामी में अधिकतम बोली लगाई हो, उस बोली की रकम की 20 प्रतिशत राशि तुरन्त निलामी स्थल पर ही जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। हस्तगत प्रकरण में निलामी का उच्चतम बोलीदाता गैर निगरानीकार संख्या 01 से ग्राम पंचायत द्वारा निलामी स्थल पर निलामी की 20 प्रतिशत राशी वसूल कर जमा नहीं की गई अतः नियम 263 के उप नियम (2) के प्रावधानों के तहत भूमि का तत्काल पुनः विक्रय किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा न तो अधिकतम बोली दाता से बोली की 20 प्रतिशत राशि निलामी स्थल पर जमा करवाई गई व न ही बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि को पुनः विक्रय किया गया।

J. हस्तगत प्रकरण में भूमि के क्रय करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर निलामी में भाग लेने व निलामी राशि जमा करवाने तक सम्पुर्ण प्रक्रिया गैर निगरानीकार संख्या 01 श्री गोम सिंह पुत्र हरनारायण सिंह द्वारा संपादित की गई परन्तु ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा आश्चर्यजनक रूप से गैर निगरानीकार संख्या 01 श्री गोम सिंह के साथ–साथ गैर निगरानीकार संख्या 02 व 03 के पति/पिता श्री भोम सिंह के नाम से संयुक्त पट्टा संख्या 6/73–74 जारी किया गया।

K. पत्रावली पर निगरानी के साथ निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जसवन्तपुरा (मकराना) का श्री गोम सिंह

व श्री भोम सिंह का जन्मतिथि प्रमाण पत्र की प्रति जो दिनांक 27.06.2017 को जारी किया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री गोम सिंह दिनांक 30.08.1973 को जिस दिवस उनके द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष भूमि क्रय करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था व दिनांक 25.12.1973 जिस दिवस बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि की निलामी की गई थी नाबालिग थे। अतः ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारी क्षेत्र की भूमि क्रय करने हेतु श्री गोम सिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा नाबालिग के आवेदन पर भूमि के विक्रय हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये नाबालिग को निलामी में भाग भी लेने दिया गया व बाद में नाबालिग आवेदक व उसके नाबालिग भाई के नाम आबादी भूमि का पट्टा भी जारी कर दिया जो प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है।

L. बिन्दु संख्या 7/H, 7/I, 7/J व 7/K में न्यायालय के समक्ष आये तथ्यों के आधार पर न्यायालय का मत है कि ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 01 श्री गोम सिंह व गैर निगरानीकार संख्या 02 व 03 के पति/पिता के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 6/73–74 जारी करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः उक्त आबादी भूमि का पट्टा संख्या 6/73–74 व उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही को अपास्त व शून्य घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

उपर्युक्त वर्णित विवेचन के संदर्भ में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां द्वारा जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 6/73–74 व इसके जारी करने के क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा संपादित की गई समस्त कार्यवाही को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के तहत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुये अपास्त व शून्य घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना